Sanjay Mishra
Advocate

Ch. No. 20, 2nd Floor
Her Govind Shukla Adhivakta Bhawan
Civil Court Compound, Kanpur
Mob. No. : 9532832829

Ref. No.: ....

Date : 23/06/2016

सेवा में

निदेशक / जनसूचना अधिकारी
राष्ट्रीय शर्करा संस्थान
कल्यानपुर, कानपुर।

विषयः—सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपसे निवेदन है कि नियमानुसार निम्नसूचनाओं का विवरण देने का कष्ट करें, जो कि निम्नलिखित है।

1. संस्था में कार्यरत वरिष्ठ तकनीकी सहायक (शर्करा प्रद्यौ0) के कार्य क्षेत्र का विवरण दें।
2. संस्था में कार्यरत वरिष्ठ तकनीकी सहायक (शर्करा प्रद्यौ0) से अध्यापन का कार्य करवाया जा रहा है। यदि हाँ तो उन्हें किस वेतनमान में समायोजित किया गया है।
3. वरिष्ठ तकनीकी सहायक (शर्करा प्रौद्योगिक) के आर0आर0 संशोधित होते कब भेजे गये थे। छाया प्रति उपलब्ध करायें।
4. कनिष्ठ तकनीकी तकनीकी अधिकारी (शर्करा प्रद्यौ0) के कितने पद पिछले 2 वर्षो में सीधी भर्ती के द्वारा भरे गये और किस नियमानुसार छाया प्रति उपलब्ध करायें।
5. कनिष्ठ तकनीकी सहायक (शर्करा प्रद्यौ0) के नवीनतम पद को कब और किस माध्यम / नियमानुसार सहायक लोक सेवा आयोग अथवा अन्य को भेजा गया। छाया प्रति दें।
6. सहायक आर्चाय (शर्करा प्रद्यौ0) के कितने पद पदोन्नति एवमं सीधी भर्ती से हुये हैं। छायाप्रति उपलब्ध करायें।
7. सहायक आचार्य (शर्करा प्रद्यौ0) के पद पर पिछले 10 वर्षो से हुई नियुक्ति किस नियम के तहत हुई है उनका विवरण दें।
8. सहायक आचार्य (शर्करा प्रद्यौ0) के भर्ती नियम क्या है। संस्था में सहायक आचार्य (शर्करा प्रद्यौ0) पुराने आर0आर0 की एवं भेजे गये संशोधित आर0आर0 की छाया प्रति उपलब्ध कराये।

Sanjay Mishra

(संयज मिश्रा)
एडवोकेट
चेम्बर नं0 20 2फ्लोर
हरगोविनद शुक्ला अधिवक्ता भवन
सिविल कोर्ट कम्पाउण्ड, कानपुर।

IPO No. 23F 974577

658
27.6.16

8/7/2016

क्यो॰स॰ 12

फाइल संख्या–26(52)/2016/RTI/63

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान

एक आई०एस०ओ० 9001:2008 प्रमाणित संस्थान
भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय,
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग
(भारत सरकार)

दूरभाष–0512–2570541–43
फैक्स :0512–2570247

कानपुर, दिनांक– 16,अगस्त, 2016

जारी
संख्या 64
दिनांक 19/8/16

सेवा में,

श्री संजय मिश्रा,
एडवोकेट
चेम्बर नं0 20, 2फ्लोर
हरगोविंद शुक्ला अधिवक्ता भवन,
सिविल कोर्ट कम्पाउण्ड,
कानपुर ।

विषय — सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के अन्तर्गत मांगी गई सूचना के संदर्भ में ।

महोदय,

आपके द्वारा जन सूचना अधिनियम 2005 के अंतर्गत दिनांक 27–06–2016 को मांगी गई सूचना निम्नवत् है :--

1– वरिष्ठ तकनीकी सहायक के पद के अनुसार आवश्यक ड्यूटी अध्यापन, शोध तथा वरिष्ठ अधिकारियों को सलाह/एक्सटेंशन डिवीजन के दौरान सहायक के रूप में कार्य करना, मसौदा, टिप्पणी बनाना । शर्करा एवं उससे सम्बद्ध(एलाइड) उद्योग की विभिन्न समस्याओं पर रिपोर्ट तैयार करना, विभिन्न समितियों का कार्यवृत्त तैयार करना, विस्तार एवं आधुनिकीकरण संबंधी शर्करा कारखानों की जॉच करना एवं तकनीकी समाचारों हेतु डाटा का संगणन करना आदि है ।

2– वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (श0प्रौ0) का वेतन मान रूपये– 9300–34800/–(पी0बी0–2) तथा रूपये– 4200/–(ग्रेड पे) तथा नियमानुसार अन्य भत्ते(समय–समय पर संशोधित)।

3– वरिष्ठ तकनीकी सहायक (श0प्रौ0) के भर्ती नियम दिनांक 28–07–2010 को संशोधित करने हेतु मंत्रालय भेजे गए थे । छायाप्रति की कुल पृष्ठ सं0 03 है ।

4– दो पद । नियम की छायाप्रति की कुल पृष्ठ सं0 05 है ।

5– कनिष्ठ तकनीकी सहायक (शर्करा प्रौद्योगिकी) के नाम का कोई भी पद संस्थान में उपलब्ध नहीं है ।

6– चार पद पदोन्नति से एवं एक पद सीधी भर्ती द्वारा । पूछे गए प्रश्न से यह इंगित नहीं होता है कि किस विषय वस्तु की छायाप्रति मांगी गई है । अतः इस अस्पष्टता को देखते हुए छायाप्रति के विषय में कोई भी निर्णय लेना संभव नहीं है ।

7– समय–समय पर सहायक आचार्य (श0प्रौ0) के रिक्त पद उस समय पर लागू भर्ती नियम,1994 अथवा संशोधित भर्ती नियम 19–5–2008 के अंतर्गत ।

8– सहायक आचार्य (श0प्रौ0) के मांगे गए भर्ती नियमों की नियम की छायाप्रति की कुल पृष्ठ सं0 05 है ।

उपरोक्त सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के सेक्शन 5(4) के अनुसार दी जा रही है ।

(1)

उपरोक्त जानकारी की छायाप्रति कुल 13 पृष्ठों में है जिसे जनसूचना अधिकार अधिनियम,2005 के अंतर्गत निर्धारित शुल्क रूपये– 02/– प्रति पृष्ठ की दर से कुल रूपये– 26/– संस्थान के कोषागार में किसी भी कार्य दिवस पर कैश अनुभाग में जमा कर उचित रसीद अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में देकर प्राप्त कर सकते हैं अथवा निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर के नाम देय डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/भारतीय पोस्टल आर्डर, जोकि कानपुर में देय हो, के माध्यम से डाक द्वारा प्रेषित कर प्राप्त कर सकते हैं ।

आपको यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप उपरोक्त मांगी गई जानकारी से संतुष्ट नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में आप इस पत्र के जारी करने से 30 दिन के भीतर प्रथम अपीलीय अधिकारी को निम्नलिखित पते पर अपील कर सकते हैं –

श्री नरेन्द्र मोहन,
निदेशक एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी,
राष्ट्रीय शर्करा संस्थान,
भारत सरकार, उपभोक्ता मामले,खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय,
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग,
कानपुर–208017

भवदीय,

12/8/16

(राकेश शुक्ला)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं
केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी